

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना-कुचामन
पीठासीन अधिकारी- श्री पुखराज सेन, आई.ए.एस.

अपील संख्या- 45/2024
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2024/88

अपीलान्त	बनाम	रेस्पोंडेन्ट
छिगनाराम पुत्र श्री खांगाराम जाति बावरी निवासी जेवलिया बास, तहसील डीडवाना जिला डीडवाना-कुचामन।		1. नायब तहसीलदार डीडवाना। 2. पटवारी हल्का बरागंना।

उपस्थित:-

- श्री हरफुल राव वकील अपीलान्त की ओर से।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
अपील विरुद्ध आदेश नायब तहसीलदार डीडवाना दिनांक 05.06.2024
प्रकरण संख्या 22/2024 बअनुवान राजस्थान राज्य बनाम छिगनाराम
अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम में अपीलार्थी को बेदखल
के आदेश पारित किये।

:-निर्णय:-

दिनांक : 17.12.2024

अपीलान्त की ओर से पेश अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि:-

- पटवारी हल्का बरागंना द्वारा इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई है कि श्री छिगनाराम पुत्र श्री खांगाराम जाति बावरी निवासी जेवलिया बास तहसील डीडवाना ने मौजा जेवलिया के खसरा नम्बर 485 रकबा 1.5100 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता में से 0.06 हैक्टेयर पर सम्वत् 2080 में तारबन्दी कर अतिक्रमण किया गया है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 में नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी की तरफ से अधिवक्ता श्री शिवभगवान ने वकालतनामा पेश किया। जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी अनुपस्थिति

अप्रार्थी द्वारा मौजा जेवलिया बास के खसरा नम्बर 485 रकबा 1.5100 हैक्टेयर किस्त गै.मु. रास्ता में से 0.06 हैक्टेयर राजकीय भूमि पर

जिला कलक्टर
डीडवाना-कुचामन




अनाधिकृत कब्जा किया है। अतः अप्रार्थी को राजकीय भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने से धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाता है। पटवारी खुनखुना से प्राप्त अतिक्रमण गै.मु. रास्ता राजकीय भूमि पर होना साबित होता है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत मौजा जेवलिया बास के खसरा नम्बर 485 किस्म गै.मु. रास्ता की भूमि प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि है।

अतः राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों के तहत अप्रार्थी को अतिक्रमी मानते हुए भूमि की लगान 0.24 रुपये का अतिक्रमित भूमि का 50 गुणा 12 रुपये शास्ति अधिरोपित की जाती है। भू. अ. निरीक्षक निम्बी कलां व पटवारी हल्का बरागंना को आदेशित किया जाता है, अतिक्रमी को अतिक्रमित रकबे पर से भौतिक रूप से बेदखल कर बेदखली रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी निम्न आधार पर यह अपील पेश कर रहा है।

—: अपील के आधार :—

1. योग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 05.06.2024 अधीन अपील कानून के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
2. योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय अधीन अपील पारित करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की हैं, योग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 05.06.2024 अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य हैं।
3. योग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अधीन अपील न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के विपरीत होने के अपास्त किये जाने योग्य हैं।
4. उक्त रिपोर्ट में पटवारी हल्का के कोई बयान नहीं करवाये गये हैं। इस तथ्य की ओर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया है। अतः योग्य अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।
5. नायब तहसीलदार डीडवाना द्वारा पूर्णरूप से विधि विरुद्ध तरीके से उक्त कार्यवाही की गई है। जिस भूमि पर पटवारी हल्का द्वारा अतिक्रमण मानकर रिपोर्ट पेश की गई है एवं जिस पर नायब तहसीलदार डीडवाना द्वारा जुर्माना व बेदखल करने का आदेश पारित किया है। अपीलार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। उसके बावजूद बिना साक्ष्य के उक्त निर्णय पारित कर दिया उक्त अपील में वर्णित खसरा नम्बर 485 पर अपीलार्थी


जिला कलेक्टर
डीडवाना-कुचामन



का कोई कब्जा नहीं है महज अपीलार्थी को तंग परेशान करने की नियत से मिथ्या तथ्य अंकित किये गये है।

6. योग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 05.06.2024 को है। जिसकी जानकारी होते ही अपीलार्थी द्वारा नकल हेतु दिनांक 03.07.2024 को आवेदन प्रस्तुत किया गया। जो नकले दिनांक 03.07.2024 को ही अपीलार्थी को प्राप्त हुई है। इससे पूर्व अपीलार्थी को उक्त निर्णय की कभी कोई जानकारी नहीं थी। इससे उक्त अपील अन्दर मियाद सुमार किया जाना आवश्यक है।


अतः अपील अपीलार्थी पेश कर निवेदन है कि नायब तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रकरण संख्या 22/2024 बअनुवान राजस्थान राज्य बनाम छिगनाराम में पारित निर्णय दिनांक 05.06.2024 को अपास्त किये जाने का आदेश पारित किया जावे।

बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपनी अपील में कथन किया है कि खसरा सं० 485 पर अपीलार्थी का कोई कब्जा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने भी दो बार अतिक्रमण से संबंधित रिपोर्ट संबंधित भू०अ० निरीक्षक व हल्का पटवारी से ली गई। उक्त दोनों रिपोर्ट में अपीलार्थी का अतिक्रमण साबित हुआ है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि खसरा सं० 485 किस्म गै०मु० रास्ता की भूमि है। अपीलान्त उस पर अवैध अतिक्रमी के रूप में काबिज है। गै०मु० रास्ता की भूमि धारा 16 राज० टेनेन्सी एक्ट के तहत प्रतिबंधित भूमि है। गै०मु० रास्ता की भूमि पर अतिक्रमण की स्वकृति/अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देकर नियमानुसार प्रक्रिया की पालना करते हुए अपीलार्थीन आदेश जारी किया गया है, जिस पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने का कोई विधिक कारण नहीं है। अतः अपील अलान्त खारीज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 17.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।




(पुखराज सेन, IAS)
जिला कलेक्टर
डीडवाना-कुचामन